उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

...न अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

...मा संख्याः– 16/2023 — दर्ज दिनांक 13.02.2023

...सी एम एस न0 2023/121 — निर्णय दिनांक 29.04.2023

गीगाराम पुत्र तुलसाराम जाति मेघवाल उम्र 55 वर्ष निवासी धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

प्रार्थी

बनाम

भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय — **दिनांक 29.04.2023**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट प्रशासन गांवों के संग अभियाजन 2023 कैम्प पोषाणा में पेश हुई है। प्रार्थी ने कैम्प पोषाणा में स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि ग्राम धोलाखेडा के पटवार हल्का रघुनाथपुरा के नये खाता संख्या 76 के खसरा न. 350 रकबा 2.78 है0 कुल खसरा योग 1 रकबा 2.78 है0 में आवेदक 1/9 हिस्से का तथा नये खाता संख्या 77 के खसरा न. 340 रकबा 1.60 है0, खसरा न. 345 रकबा 1.84 है0, खसरा न. 351 रकबा 2.75 है0 कुल खसरा योग 3 का कुल रकबा 6.19 है0 भूमि अवस्थित है, जिसमें आवेदक 1/72 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि आवेदक का नाम गीगराज पुत्र तुलसा दर्ज हो गया है जो गलत दर्ज है, जबकि आवेदक का सही नाम गीगाराम पुत्र तुलसाराम है तथा आवेदक के समस्त दस्तावेजात जैसे परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड व घरेलू विघुत सम्बन्ध के बिल आदि दस्तावेजों में आवेदक का सही नाम गीगाराम पुत्र तुलसाराम ही दर्ज है जो सही व सत्य है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक व आवेदक के पिता का गलत रूप से दर्ज नाम गीगराज पुत्र तुलसा की जगह सही नाम गीगाराम पुत्र तुलसाराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जवाबदेही तय की गई।

तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त।

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2023 कैम्प पोषाणा में पेश हुई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने हेतु उभयपक्षकारान ने सहमति दी। प्रार्थना में वर्णित भूमि का रिकॉर्ड खातेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat

Date: 2023.06.14 17:09:29 IST

Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी

...र है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक व आवेदक के पिता का गलत ...से दर्ज नाम गीगराज पुत्र तुलसा की जगह सही नाम गीगाराम पुत्र तुलसाराम दुरूस्त ...जाने का अधिकारी है। उक्त विवेचना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित ...एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम धोलाखेड़ा के पटवार हल्का रघुनाथपुरा के नये खाता संख्या 76 के खसरा न. 350 रकबा 2.78 है0 कुल खसरा योग 1 रकबा 2.78 है0 में तथा नये खाता संख्या 77 के खसरा न. 340 रकबा 1.60 है0, खसरा न. 345 रकबा 1.84 है0, खसरा न. 351 रकबा 2.75 है0 कुल खसरा योग 3 का कुल रकबा 6.19 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज आवेदक व आवेदक के पिता का गलत रूप से दर्ज नाम गीगराज पुत्र तुलसा की जगह सही नाम गीगाराम पुत्र तुलसाराम शुद्व/दुरूरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

(हस्ताक्षर) 29/4/23

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी।

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 29.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 29/4/23

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी।

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:09:29 IST
Reason: SelfAttested